ख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 59/2018 अनवान चेतनराम बनाम पन्नाराम	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
25/02/2		

आदेश

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण ईकतरफा। वकील प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी मौजा काऊ का खेड़ा पटवार क्षेत्र कवास तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 131 रकबा 31.18 बीघा भूमि के अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहता है, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है।

प्रकट तथ्यों के मद्देनजर प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा काऊ का खेड़ा पटवार क्षेत्र कवास तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 131 रकबा 31.18 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि उक्त कार्रवाई प्रार्थी व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्त्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) की जावे। कमीश्नर फीस 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाडमेर के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर सामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल–सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2020.06.24 15:24:33 IST
Reason: SelfAttested